फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

शिम्भूदयाल बनाम मोहनलाल वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 39 / 25

तारीख हुक्म		नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.05.2025	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र मय दस्तावेजों की नकलो की छाया प्रतिया संलग्न कर जरियें प्रार्थी अधिवक्ता श्री लखनलाल बैरवा एड0 द्वारा पेश किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की प्रा0 अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतरिम अनुतोष पर एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस का मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की छायाप्रतियों का अवलोकन किया गया हमने प्रथम दृष्टया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस से संतुष्ट होकर् यह पाया कि प्राईमा फैसी केस , सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर अप्रार्थीगणो को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस आशय कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके रामा सिकराय डूंगर तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा नम्बर 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 37 में आगामी पेशी तक उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन से की जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अप्रार्थीगण दिनांक 02.06.2025 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	
2/6/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप0। Reg. तामील कि 15/7/25 को पेश हो।	
24/6/25	मूल वादपत्र के साथ पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी एवं अधिवक्ता द्वारा प्रकरण विड्रो करने हेतु निवेदन किया। अतः प्रा0पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथी रिकार्ड हो।	[illegible]